

जिला पशुपालन कार्यालय, चतरा।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025-26 के लिए ऑनलाईन आवेदन करने
हेतु दिशा निर्देश

सामान्य निर्देश

आवश्यक कागजात -

- 1) आधार नम्बर की छाया प्रति
- 2) बैंक खाता की छाया प्रति
- 3) आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
- 4) BDO / CO / मुखिया द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 5) ग्राम सभा की छाया प्रति जिसमें योजना हेतु अनुशंसा की गयी हो।
- 6) जमीन का रसीद, यदि हो तो
- 7) BDO / CO / मुखिया द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 8) मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड की छाया प्रति
- 9) पहले से मुर्गी फार्म / सूकर फार्म / बकरा - बकरी हो तो लाभुक के साथ GEO TAG फोटो की छाया प्रति
- 10) बीपीएल / राशन कार्ड की छाया प्रति
- 11) पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 12) दिव्यांग हो तो चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति

20/12

पशुपालन की योजना हेतु योग्यता

1) लाभुक चतरा जिला के किसी प्रखण्ड का स्थायी निवासी हो।

2) लाभुक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।

3) 75 % अनुदान की योजना अन्तर्गत

क) बकरा विकास योजना

ख) सूकर विकास योजना

ग) बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन योजना

घ) ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना

ड.) बतख चूजा वितरण योजना

नोट – पारा 3 के (क) से (ड.) तक के लिए चतरा जिला के ग्राम का कोई भी **Adult** पुरुष अथवा महिला आवेदन कर सकते हैं।

4) 90 % अनुदान की योजना अन्तर्गत

क) बकरा विकास योजना

ख) सूकर विकास योजना

ग) बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन योजना

घ) ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना

ड.) बतख चूजा वितरण योजना

नोट – पारा 4 के (क) से (ड.) तक के लिए चतरा जिला के ग्राम का **Adult** पुरुष अथवा महिला, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / आदिम जन जाति / सामान्य जाति के असहाय विधवा औरत / दिव्यांग / निः संतान दम्पति जिनकी आयु कम से कम 50 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं।

5) जोड़ा बैल की योजना – (90 % अनुदान की योजना)

नोट – पारा 5 के लिए चतरा जिला के ग्राम का कोई भी **Adult** पुरुष अथवा महिला जो चतरा जिला का किसान हो, चतरा जिला का स्थायी निवासी हो, किसान बी0पी0एल0 श्रेणी का हो, किसान के पास खेती योग्य भूमि हो, आवेदन कर सकते हैं।

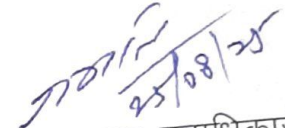
नोट – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / आदिम जन जाति / दिव्यांग को प्राथमिकता दी जायगी।

नोट – वैसे पशुपालक (आवेदक या आवेदक के परिवार का सदस्य) जिन्हें विगत पाँच वर्षों में पशुपालन की योजना (बतख की योजना छोड़कर) का लाभ नहीं मिला हो आवेदन कर सकते हैं।

Handwritten signature

ऑन लाईन आवेदन कैसे करें

- 1) INTERNET BROWSER के ADDRESS BAR में <https://loksetuchatra.in> TYPE करें।
- 2) LOK SETU CHATRA का PAGE खुलेगा।
- 3) पशुपालन का चयन करें
- 4) आवेदन करने के लिए क्लिक करें बटन से प्रवेश करें
- 5) मांगी गयी सूचनाओं को ध्यानपूर्वक भरें तथा आवश्यक कागजात को UP LOAD करें।


जिला पशुपालन पदाधिकारी
चतरा।